रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-263/2020/489/22-2-2-2020-17(159)/2020

लखनऊ:दिनांक: 17 जुलाई, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मूला सिंह (बन्दी संख्या-47381) पुत्र श्री हरने सैनी, निवासी-मौहल्ला लाल सरांय, थाना-नगीना, जनपद-बिजनौर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-327/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, बिजनौर के आदेश दिनांक 21.08.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2013 द्वारा यथावत रखा गया, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई हेतु की गयी संस्तुति व दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की वृद्धावस्था, कारावास की भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण के आधार पर की गयी संस्तुति तथा आयु 76 वर्ष 04 माह होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-263/2020/489(1)/22-2-2020 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
3- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in